उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 232/27–9–08/स्टाम्प–35/2008
देहरादूनः दिनांक 15 सितम्बर, 2008

आदेश

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों में भू–खण्ड लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख/विक्रय के निबन्धन में तथा यदि कोई उद्यमी निजी औद्योगिक आस्थान/मेगा प्रोजेक्ट/विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र से बाहर सीधे स्वयं भूमि क्रय करता है, तो भूमि के क्रय विलेख–पत्र के निबन्धन में स्टाम्प शुल्क प्रभार से पूर्णतया छूट प्रदान की जाती है।

इस अधिसूचना में ''दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों'' का अभिप्राय औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–488/VII–II–08/08, दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में परिभाषित है।

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।

संख्या– 232(1)/वित्त अनुभाग–9/स्टाम्प/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक राजकीय प्रेस, रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग–4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200–200 प्रतियॉ शासन के वित्त अनुभाग–9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्यायी/विधायी विभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 वल्दिया)
उप सचिव।